कार्यवाई

माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 13.07.2016 को जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट में संकलित राशि एवं क्रियान्वित किये जानेवाली योजना के संबंध में आहूत बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति –

मुख्य सचिव।

विकास आयुक्त।

अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण।

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव।

सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग।

सचिव, माध्यमिक शिक्षा।

खान आयुक्त।

निदेशक, खान।

मुख्य अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

विशेष कार्य पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग।

सचिव, उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए DMF Trust एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिलावार DMF Trust मे प्राप्त होने वाले कुल समेकित राशि 979.04 करोड़ रुपये की जानकारी दी गई। उन्होंने विगत वर्ष में प्राप्त स्वामित्व का 10% वृद्धि अंकित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस कोष में 1076.95 करोड़ रूपये प्राप्त होने की भी जानकारी दी। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि माह जून 2016 तक मात्र 5 जिलो यथा धनबाद, रामगढ़, गोड्डा, लातेहार एवं चाईबासा से अबतक 145.27 करोड़ रूपये इस कोष में प्राप्त हुए हैं। उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को 17 महत्वपूर्ण जिलो जहां वृहत खनिज एवं कोयला का खनन होता है उनसे DMF कोष में राशि प्राप्त होने की भी जानकारी दी गई।

मुख्य सचिव द्वारा DMF Trust Fund, जिला योजना, CSR एवं अन्य योजनाओ से स्वास्थ्य, पेयजल एवं शिक्षा के क्षेत्र में खनन प्रभावित क्षेत्रों मे ली जानेवाली योजनाओं का Mapping करने का परामर्श भी दिया।

विकास आयुक्त द्वारा PMKKKY अन्तर्गत High Priority Areas यथा पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता क्षेत्रों मे कोष में प्राप्त राशि से कार्य कराए जाने पर चर्चा की गई।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के क्रियान्वयन पर विशेष अभिरुची व्यक्त की गई है। उन्होंने इस संबंध में निम्नांकित निदेश दिये –

1. प्रथम चरण में पेयजल स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित योजनाएं DMF कोष में संभावित राशि के तीन गुणा राशि तक की तैयार किये जाए एवं उसे संबंधित

जिला के ट्रस्ट की बैठक से शीघ्रताशीघ्र अनुमोदित कराते हुए कृत कार्रवाई प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

2. सभी उपायुक्तों को सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्त्व पत्र लिखकर DMF ट्रस्ट की बैठक कर प्राथमिकता निर्धारित करते हुए योजना प्रस्ताव संबंधित विभाग को भेजने का निदेश दें।

3. मुख्य सचिव सभी उपायुक्तों के साथ Video Conferencing कर कोष में प्राप्त राशि एवं आयोजित बैठक की अद्यतन जानकारी प्राप्त करें।

4. दिनांक 08.08.2016 को सभी उपायुक्तों के साथ रांची में बैठक आयोजित करने का निदेश अपने सचिव को दिया।

5. सभी विभागीय सचिव अपने विभागीय योजनाओं में उपलब्ध बजट आदि की जानकारी प्राप्त करते हुए छूटे हुए क्षेत्रों में परियोजना प्रस्ताव तैयार करेंगे।

समीक्षा के क्रम में स्वास्थ्य, पेयजल एवं शिक्षा से संबंधित विषयों पर संबंधित विभागीय सचिव, पदाधिकारियों द्वारा निम्नांकित तथ्य रखे गए:-

(क) <u>स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग:-</u> अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के द्वारा DMF Trust अन्तर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण करने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि National Institute of Miners Health से भी संपर्क कर खनन से उत्सर्जित बीमारियों एवं रोग के संबंध में सूचना प्राप्त की जाएगी ताकि खनन प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य, प्राथमिक चिकित्सा आदि पर एक ठोस योजना तैयार किया जा सके। इसी क्रम में उन्होने बताया कि चाईबासा जिला अन्तर्गत 370 प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र तैयार किया जाना है जिसमें प्रति ईकाई 3400000 रुपये का व्यय संभावित है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 60 उप स्वास्थ्य केन्द्र क्रमशः नोआमुंडी एवं मनोहरपुर क्षेत्र में 30-30 प्रथम चरण में Pre-Fab Structure तैयार करने की योजना संबंधित जिला को उपलब्ध कराने का निदेश दिया ताकि दिसंबर 2016 के पूर्व यह कार्य पूरा किया जा सके। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को सभी उपायुक्तों से वार्ता कर स्वास्थ्य उपकेन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सुदृढ़ीकरण / निर्माण की योजना तैयार करने का भी निदेश दिया।

(ख) मुख्य अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा निम्नांकित जिलों में DPR तैयार करने की जानकारी दी गई

यथा धनबाद जिला अन्तर्गत- 600 करोड़ रुपये का DPR तैयार।

रामगढ़ जिला अन्तर्गत – 3 DPR क्रमशः 19 करोड़, 14 करोड़, 8 करोड़।

पलामू जिला अन्तर्गत – 4 DPR / Scheme।

पाकुड़ जिला अन्तर्गत महेशपुर / 56 करोड़, अमड़ापाड़ा 5.35 करोड़। [illegible]

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा [illegible] जिला अन्तर्गत [illegible] सभी गाँव में भी शुद्ध पेयजल [illegible] नई Pilot Project के अनुरूप [illegible] उपलब्ध कराने हेतु योजना तैयार करने का निदेश दिया गया।

अन्य जिले [illegible] में कोई भी DPR तैयार नहीं होने की भी सूचना दी गई। [illegible] DPR के [illegible] DMF के माध्यम से अनुमोदित करते हुए पूरा करने का निदेश दिया।

(ग) ऊर्जा विभाग :-

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में [illegible] सौर ऊर्जा के माध्यम से [illegible] सुझाव दिया एवं उदाहरण स्वरूप [illegible] जिला अन्तर्गत [illegible] का उल्लेख किया। इस संबंध में [illegible] सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराने की योजना निर्मित करने का भी निदेश [illegible] किया गया।

बैठक की कार्रवाई धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

ह0/

(सुनील कुमार बर्णवाल)

सरकार के सचिव,

उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग।

ज्ञापांक .... राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि -- मुख्य सचिव / विकास आयुक्त / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग / सचिव माध्यमिक शिक्षा / खान आयुक्त / निदेशक, खान / मुख्य अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/

सरकार के सचिव,

उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग।

ज्ञापांक ....1971/खा0 राँची, दिनांक 18-07-16

प्रतिलिपि -- सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सत्य प्रकाश नेगी) 18/7/2016

निदेशक, खान